

Order Sheet [Contd]

Case No15/17 B.A Cr.P.C....

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
13-1-17	<p>आवेदक/आरोपी महीपालसिंह द्वारा श्री के०सी०उपाध्याय अधिवक्ता शासन द्वारा अपर लोक अभियोजक ।</p> <p>अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी के न्यायालय से आपराधिक प्रकरण क्र० <u>718/10</u> इ०फो० पुलिस एण्डोरी बनाम सुगरसिंह आदि खारिजा दिनांक 19-12-16 प्राप्त हुआ ।</p> <p>आवेदक/आरोपी की ओर से पेश आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 439 जा०फो० में बताया गया है कि यह उनका प्रथम नियमित जमानत आवेदनपत्र है इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत आवेदनपत्र न ही निरस्त हुआ है तथा न ही किसी अन्य न्यायालय में लम्बित होना बताया गया है ।</p> <p>आवेदक/आरोपी की ओर से पेश आवेदनपत्र में निवेदन किया गया है कि पुलिस थाना एण्डोरी के द्वारा एक झूठा अपराध का अभियोगपत्र पेश किया था जो प्र०क्र० <u>718/10</u> इ०फो० पर संचालित है । उक्त प्रकरण में आवेदक न्यायालय में जमानत पर होकर नियत पेशियों पर आता रहा है । किन्तु नियत पेशी दिनांक 1-8-16 के पूर्व आवेदक के पिता की तबियत अत्यधिक खराब हो गयी जिससे आवेदक उनके ईलाज हेतु ग्वालियर चला आया और अपने पिता के इलाज में व्यस्त हो गया इस कारण सूचना अभिभाषक को नहीं दे सका । जिससे उसके जमानत मुचलके जप्त कर गिरफ्तारी बारंट से तलव किये जाने का आदेश दिया गया है और दिनांक 19-12-16 को स्थाई गिरफ्तारी बारंट जारी कर दिया है जिसके पालन में उसे गिरफ्तार कर निरोध में भेज दिया गया है तब से वह निरोध में बंदी है । आवेदक स्वंय पीलिया रोग से पीडित है और कृषि पेशा व्यक्ति है जो कृषि कर अपने परिवार का भरण पोषण करता है । यदि उसे अधिक समय तक अभिरक्षा में रखा गया तो उसके परिवार के भूखों मरने की स्थिति आ जायेगी । वह जमानत की सभी शर्तों का पालन करने को तैयार है । ऐसी दशा में उसे नियमित जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया गया है ।</p> <p>राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने विरोध किया ।</p> <p>उपरोक्त संबंध में विचार किया गया । दिनांक 1-8-16 को अभियुक्त परीक्षण की स्टेज पर आरोपी के अनुपस्थित हो जाने से गिरफ्तारी बारंट का आदेश किया गया है जिसमें कि दिनांक 19-12-16</p>	

को फरार घोषित कर गैर मियादी गिरफ्तारी बारंट जारी करने का आदेश दिया गया है । आरोपी दिनांक 9-1-17 को गिरफ्तार कर उसे उप जेल गोहद भेजा गया है ।

आवेदक अधिवक्ता ने अपने तर्क में मुख्य रूप से व्यक्त किया कि पिता की तबियत अत्यधिक खराब हो जाने से वह उनके ईलाज में व्यस्थ रहा है इस कारण वह न्यायालय में पूर्व में उपस्थित नहीं हो सका था और बाद में वह स्वयं पीलिया रोग से ग्रहित हो गया था । वह प्रत्येक पेशी दिनांक पर न्यायालय में उपस्थित रहेगा एवं न्यायालय की सभी शर्तों का पालन करेगा ।

उपरोक्त संबंध में विचार किया गया । आरोपी गैर मियादी गिरफ्तारी बारंट के पालन में गिरफ्तार कर दिनांक 9-1-17 को अभिरक्षा में भेजा गया है । प्रकरण में अन्य सह आरोपी के विरुद्ध भी गैर मियादी गिरफ्तारी बारंट का आदेश है उसकी भी उपस्थिति अभी होनी है । प्रकरण में आरोपी के द्वारा अपने पिता एवं स्वयं के बीमार होना अपनी अनुपस्थिति का कारण बताया है किन्तु इस संबंध में कोई प्रमाण पेश नहीं किया गया है । ऐसी दशा में यद्यपि आरोपी की ओर से अनुपस्थिति का बताया कारण समुचित नहीं कहा जा सकता किन्तु आरोपी जो कि दिनांक 9-1-17 से अभिरक्षा में है तथा उसे अनुपस्थित रहने का पर्याप्त सबक मिल चुका है । आरोपी के द्वारा जमानत आवेदन का प्रथम बार उल्लंघन किया गया है । प्रकरण के निराकरण में जो कि सह आरोपी के विरुद्ध गिरफ्तारी बारंट का आदेश है और अभी अभियुक्त परीक्षण भी होना है समय लगने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता ।

विचारोपरान्त उपरोक्त संपूर्ण तथ्यों, परिस्थितियों को देखते हुये आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 439 जा0फो0 स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि आवेदक संबंधित विचारण न्यायालय की संतुष्टि योग्य 40000/-,40000/-चालीस चालीस हजार रुपये की दो सक्षम जमानतें एवं 80000/-अस्सी हजार रुपये का व्यक्तिगत बंध पत्र इस आशय का पेश हो कि प्रत्येक पेशी दिनांक को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा और प्रकरण के त्वरित निराकरण में सहयोग प्रदान करेगा तो उसे नियमित जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दिया जाता है। आरोपी के पूर्व मुचलके की राशि में से संबंधित न्यायालय राशि राज सात किये जाने के लिये स्वतंत्र रहेगा ।

आदेश की एक प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकार्ड वापिस किया जाये ।

परिणाम दर्ज कर दाखिल रिकार्ड हो ।

	ए0एस0जे0गोहद	
--	--------------	--

